न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 260 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
दलाराम पुत्र बागाराम जाट निवासी–ईशरू, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।		1. राज्य जरिये तहसीलदार, बापिणी, जिला जोधपुर 2. श्रीमती जमना पत्नी बागाराम 3. जसाराम पुत्र बागाराम 4. मदाराम पुत्र बागाराम 5. रामेश्वरलाल पुत्र बागाराम 6. शेराराम पुत्र बागाराम निवासी–ईशरू, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर। 7. पटवारी, ईशरू, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा प्रकरण संख्या प्र0ग0सं0 / 2021 / 10 दिनांक 28.10.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री कैलाश मेघवाल, श्री स्वर्णसिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा प्र0ग0सं0 / 2021 / 10 दिनांक 28.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम ईशरू तहसील बापिणी के ख0सं0 149 के रकबा 8.6198 हैक्टर में से 0.278 हैक्टर भूमि को रास्ते हेतु उपयोग में लिये जाने का आदेश दिनांक 28.10.21 को पारित किया है जिसमें

अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट व्यथित होने से अपील प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट को राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं है कि किसी कि खातेदारी भूमि में से भूमि की किस्म बदल कर रास्ता घोषित करवाये व न ही अधिनस्थ न्यायालय को धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधि0 में कोई कानूनी अधिकार है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की है जिसमें मौके पर किसी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई पक्षकार मौके पर उपस्थित था, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत की मिटींग में प्रस्ताव संख्या 3 में बिना प्रार्थी को सूचित किये तथा अप्रार्थी जसाराम व शेराराम के एक 100 रूपये के खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिये।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा खातेदारान/पक्षकारान के खातेदारी भूमि के बीच में से रास्ते की भूमि दी गई है जबकि नियमानुसार रास्ते की भूमि किसी खेत के बीच में से नहीं दी जाकर खेत के माठों–माठ से दी जा सकती थी, इस कारण से आलौच्य आदेश विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के प्रकरण में मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में मंगवाई गई जिसमें प्रार्थी की सहमति नहीं दी गई है तथा न ही रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई आपत्तियॉ की सुनवाई की गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2001 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम ईशरू तहसील बापिणी के ख0सं0 149 के रकबा 8.6198 हैक्टर में से 0.278 हैक्टर भूमि में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिनांक 28.10.21 को पारित किया है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये

जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है और मौका भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है जिस पर उनके हस्ताक्षर नहीं करवाये गये जिससे अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है।

6. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट की उपस्थिति में तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

7. अतःउपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी,लोहावट को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थी की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर